

**न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.कं.-808 / 2004  
 संस्थित दिनांक-16.07.2004  
 फाईलिंग क.234503000502004

श्रीमती अन्नपूर्णा बावनकुड़े उम्र-25 वर्ष, पति डॉ० राजकुमार बावनकुड़े  
 जाति तेली, निवासी अर्जुनी/बघोली हा.मु. भण्डेरी थाना बैहर,  
 तहसील बैहर जिला बालाघाट।

— — — — — **परिवादी**

**// विरुद्ध //**

1. राजकुमार पिता सेवकराम बावनकुड़े उम्र-45 साल,  
 निवासी ग्राम अर्जुनी तहसील तिरोड़ा जिला गोंदिया महाराष्ट्र।
2. रामदास पिता सेवकराम उम्र-30 साल,  
 निवासी ग्राम अर्जुनी तहसील तिरोड़ा जिला गोंदिया महाराष्ट्र।

— — — — — **अनावेदकगण।**

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक-22/07/2016 को घोषित)**

1— अनावेदकगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक-23.06.2004 से 18.08.2004 तथा इसके मध्य एवं पूर्व अनेक बार स्थान भण्डेरी थाना बैहर के अंतर्गत फरियादी श्रीमती अन्नपूर्णा बावनकुड़े को उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर फरियादी श्रीमती अन्नपूर्णा बावनकुड़े के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया।

2— परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी अन्नपूर्णा का विवाह अनावेदक क्रमांक 01 राजकुमार से 12 मार्च 2000 को हुआ था जिसमें परिवादी के पिता ने उनकी क्षमता के अनुसार सामान अनावेदकगण को दिया था। विवाह के कुछ दिन पश्चात ही अनावेदकगण ने परिवादी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परिवादी व अनावेदक क्रमांक 01 को दो पुत्र हुये। परिवादी के द्वितीय पुत्र के जन्म के 06 दिन बाद ही अनावेदक क्रमांक 01 ने 99परिवादी तथा उसके पिता के

साथ मारपीट की। संबंध सुधर जाने की आशा में परिवादी ने अनावेदकगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मई 2004 में अनावेदकगण ने परिवादी को खाना-पीना देना बंद कर दिया और उसके साथ मारपीट की। इसके पश्चात परिवादी अपने बच्चों को लेकर उसके मायके भण्डेरी आ गई और उसके पश्चात से वह वहीं पर रह रही है। अनावेदकगण ने मोटरसायकिल और फ्रीज की मांग की थी। परिवादी ने भरणपोषण हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसको लेकर अनावेदक क्रमांक 01 ने उसे जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 11.07.2004 को अनावेदक क्रमांक 01 व उसके पिता ने परिवादी के घर आकर उसके साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना बैहर में की गई परन्तु पुलिस द्वारा समझा-बुझाकर कार्यवाही नहीं की गई। अनावेदकगण द्वारा परिवादी को दहेज की मांग को लेकर लगातार वर्ष 2003 से वर्ष 2004 तक प्रताड़ित किया गया है। अतः अनावेदकगण को विधि अनुसार दंडित किया जावे।

**3—** अनावेदकगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु उक्त धारा शमनीय प्रकृति की न होने से राजीनामा आवेदन निरस्त किया जाकर उनका विचारण किया गया। अनावेदकगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अनावेदकगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

**4—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-23.06.2004 से 18.08.2004 तथा इसके मध्य एवं पूर्व अनेक बार स्थान भण्डेरी थाना बैहर के अंतर्गत फरियादी श्रीमती अन्नपूर्णा बावनकुड़े को उसके पति एवं पति के नातेदार होते हुये दहेज की मांग को लेकर फरियादी श्रीमती अन्नपूर्णा बावनकुड़े के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया गया ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 का निष्कर्ष:-**

5— परिवारी साक्षी अन्नपूर्णा बावनकुड़े प.सा.1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसका विवाह अनावेदक क्रमांक 01 राजकुमार बावनकुड़े से 12 मार्च, 2000 को ग्राम भण्डेरी में हुआ था। अनावेदक क्रमांक 01 राजकुमार दवाखाना खोलने के लिये उससे पैसों की मांग करता था तथा दहेज में फ्रीज एवं मोटर सायकिल की मांग करता था। अनावेदक राजकुमार ने वर्ष 2003 में उसके द्वितीय पुत्र के जन्म के 07-08 दिन पश्चात उससे झगड़ा किया था और मारपीट की थी। अनावेदक राजकुमार ने उसके पिता का गला भी दबाया था। इसके पश्चात वर्ष 2004 में भी अनावेदक राजकुमार ने उसके साथ हाथ-घुंसी से मारपीट की। अनावेदक दहेज का सामान कम लाने की बात को लेकर उसे ताना देता था। अनावेदक उसे जान से मारने की धमकी भी देता था।

6— परिवारी साक्षी सूरजलाल प.सा.02 ने परिवारी अन्नपूर्णा के कथनों का समर्थन करते हुये कहा है कि परिवारी अन्नपूर्णा उसकी साली है। दिनांक 26.05.2004 को वह परिवारी के ससुराल गया था, तब उसे जानकारी हुई थी कि अनावेदकगण परिवारी के साथ मारपीट कर रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं। घटना की रिपोर्ट पुलिस में की गई थी लेकिन पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। परिवारी के कथनों का समर्थन साक्षी राधाबाई प.सा.03 तथा मेवालाल प.सा.04 ने भी किया है। मेवालाल प.सा.04 ने अपने कथन में कहा है कि परिवारी अन्नपूर्णा भण्डेरी निवासी पी0के0 मान्जेवार की पुत्री है। उसे परिवारी अन्नपूर्णा प.सा.01 ने बताया था कि शादी के कुछ दिन बाद से अनावेदकगण दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते हैं। परिवारी अन्नपूर्णा के बच्चों के जन्म पर हुआ व्यय भी परिवारी के पिता द्वारा वहन किया गया था और अनावेदकगण की प्रताड़ना से तंग आकर परिवारी अपने मायके में निवास कर रही है।

7— प्रतिपरीक्षण में साक्षी अन्नपूर्णा ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसे फ्रीज, मोटरसायकिल व दवाखाना खोलने के लिये पैसों की मांग नहीं करता था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके बच्चों के जन्म के समय अनावेदक क्रमांक 01 राजकुमार ने उससे विवाद किया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि

दिनांक 20.01.2004 को अनावेदक राजकुमार ने हाथ-मुक्कों से उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि अनावेदक राजकुमार उसके माता-पिता के साथ ग्राम भण्डेरी आकर उसे तंग किया था। वस्तुतः परिवादी अन्नपूर्णा प.सा.01 ने अपने संपूर्ण मुख्यपरीक्षण में किये गये कथनों को अपने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है। इसी प्रकार प्रतिपरीक्षण में परिवादी साक्षी मेवालाल प.सा.04 ने भी यह कहा है कि परिवादी ने उसे नहीं बताया था कि अनावेदक राजकुमार उसे दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता था और उसे प्रताड़ित करता था। साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण से विपरीत कथन अपने प्रतिपरीक्षण में किये हैं।

8— प्रकरण में परिवादी एवं अनावेदकगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभिलेख पर राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु अनावेदकगण के विरुद्ध धारा 498ए के अंतर्गत अपराध किये जाने का अभियोग है जो कि शमनीय नहीं होने से राजीनामा आवेदन पत्र निरस्त किया गया है।

9— परिवादी साक्षी अन्नपूर्णा प.सा.01 ने न्यायालय के समक्ष यह कहा है कि अनावेदकगण द्वारा उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना नहीं दी गई एवं अनावेदकगण दहेज की मांग नहीं करते हैं। मारपीट की समस्त घटना से परिवादी साक्षी अन्नपूर्णा द्वारा इंकार किया गया है। परिवादी साक्षी मेवालाल प.सा.04 द्वारा भी मारपीट की घटना होना तथा परिवादी अन्नपूर्णा के साथ अनावेदकगण द्वारा मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना देकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में अनावेदकगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए) का अपराध किये जाने के तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते। फलस्वरूप अनावेदकगण को उक्त धारा में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में अनावेदकगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

11— प्रकरण में अनावेदकगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। उक्त के

संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

बैहर,  
दिनांक-22.07.2016

सही / -  
(श्रीष कौलाश शुक्ल)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)